न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–220 सन् 1994

अम्बेदकर कुमार वगैरह.....वादीगण।

बनाम

दिनापत राय वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 08.12.2023

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 29.09.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 05 कृपाल राय वल्द स्व0 प्रयाग राय की मृत्यु दिनांक 24.08.2022 को अपने पुत्रों वो पुत्रियों को उत्तराधिकारिगण छोड़कर स्वर्गवास हो गए। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 05 कृपाल राय का नाम प्रतिवादी के खाने से काटकर उनके कानूनी वारिसानों का नाम जोड़ा जाना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 05 का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 05 कृपाल राय वल्द स्व0 प्रयाग राय की मृत्यु दिनांक 24.08.2022 को अपने पुत्रों वो पुत्रियों को जो आवेदन में लिखित है को उत्तराधिकारिगण छोड़कर स्वर्गवास हो गए। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 29.09.2023 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ

विलंब माफ करते हुए तथा उपमसन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

सब जज
सोनपुर, सारण।

दिनांक– 08.12.2023

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 13.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 19 मुसाफिर राय वल्द स्व0 शिवशंकर राय की मृत्यु अपने कानूनी वारिसान को छोड़कर दिनांक 19.07.2023 को हो गई है। ऐसी परिस्थिति में समुचित न्याय हेतु उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 19 का नाम वादपत्र से काटकर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 19 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 19 मुसाफिर राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 19.07.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंतर्गत शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वाद की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 13.10.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज
सोनपुर सारण।